150

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.8(10)एम.ई./ग्रुप-1/2019 जयपुर, दिनांकः 17-5-2020

परिपत्र

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रकों द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थापित वरिष्ठ प्रदर्शको को नीट-पीजी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। पीजी में चयन होने के उपरान्त वरिष्ठ प्रदर्शको द्वारा अध्ययन अवकाश हेतु आवेदन किया जाता है।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ वरिष्ठ प्रदर्शको द्वारा स्वयं की विशिष्टता से भिन्न विशिष्टता में उच्च अध्ययन अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते है।

इस संबंध में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 109 से 119 में अध्ययन अवकाश की अनुज्ञेयता हेतु निम्नानुसार प्रावधान हैः-

नियम 110(1)-

''एक स्थाई राज्य कर्मचारी को अध्ययन अवकाश, अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम या वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकृति के अनुसंधान कार्य करने, जो स्वीकृतिकर्ता-प्राधिकारी की सम्मति में विभागीय कार्य, जिसमें वह नियोजित है, के हित में आवश्यक समझा जाता है, अनुज्ञेय होगा।''

नियम 110(2)-

''अध्ययन अवकाश एक ऐसे अस्थाई सरकारी कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगा जिसने तीन वर्षो की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, परंतु शर्त यह है कि प्रारंभिक नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग के परामर्श से हुई हो।''

उपरोक्त के कम में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती हैः-

राज्य कर्मचारी जिस विभागीय कार्य (विशिष्टता) में नियोजित है, उस विभागीय कार्य में (विशिष्टता) धारित योग्यता से उच्च योग्यता प्राप्त करना विभागीय हित में होने पर ही अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

अतः उक्त कम में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी वरिष्ठ प्रदर्शक को नीट-पीजी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति में स्पष्ट किया जावे कि वरिष्ठ प्रदर्शक जिस विशिष्टता में नियोजित है, उसी विशिष्टता में ही उच्च अध्ययन हेतु अध्ययन अवकाश आवेदन पत्र अग्रेषित किया जावेगा।

नियोजित विशिष्टता से भिन्न विशिष्टता के लिये अध्ययन अवकाश के स्थान पर असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विभव गालरिया)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय,अजमेर/बीकानेर/कोटा/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/शैक्षणिक), चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
6. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर/बीकानेर/कोटा/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

17-5-2020
शासन संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner